संख्या-137/2019/2907/22-2-2017-17(247)/2013

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 25 अक्टूबर, 2019***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामबाबू पुत्र श्री लल्लू, निवासी जनपद-जालौन वर्तमान जनपद-झांसी की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-39711/प्रोबे0(2)-182(एम-22-06-2017) दिनांक 03-11-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामबाबू पुत्र श्री लल्लू, निवासी ग्राम-कलिया, थाना-कलिया, जनपद-जालौन हालपता मौ0 इतवारीगंज थाना-कोतवाली, जनपद-झांसी का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 28-06-**1995** को सांय लगभग 05:30 बजे अपनी पत्नी मृतका श्रीमती लक्ष्मी देवी से शराब पीने के लिए 100 रूपये मांगे। पत्नी ने रूपये देने से मना कर दिया तो बन्दी ने मिट्टी का तेल लक्ष्मी देवी के ऊपर डालकर आग लगा दी, जिसे उसके भाईयों ने जली अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया, जिसकी उपचार के दौरान दिनांक 03.07.1995 को मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-311/1995 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, झांसी के आदेश दिनांक 17.02.1999 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 14.05.2017 तक 21 वर्ष 10 माह 15 दिन की अपरिहार सजा तथा 27 वर्ष 11 माह 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दिनांक 14.05.2017 तक बन्दी की आयु 51 वर्ष लगभग है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की है किन्तु क्रिमिनल रिट याचिका सं0-48/2014 भारत संघ बनाम वी0श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में बन्दी के सम्बन्धित मा0 न्यायालय का अभिमत भी प्राप्त किया गया। मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-1, झांसी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिमत दिनांक 04.05.2017 के अनुसार सिद्धदोष बन्दी रामबाबू बिना सजा पूर्ण किये समयपूर्व रिहाई का पात्र नहीं है। सलाहकार समिति ने बंदी द्वारा अत्यन्त निर्दयता से अपनी पत्नी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी के स्वास्थ्य की दशा संतोषजनक है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता एवं मा0 पीठासीन अधिकारी की राय के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामबाबू पुत्र श्री लल्लू को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी रामबाबू (बन्दी संख्या-6317) पुत्र श्री लल्लू, निवासी जनपद-जालौन वर्तमान जनपद-झांसी की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-137/2019/2907(1)/22-2-2017 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, झांसी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

डा0 गिरीश चन्द्र खरे
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।